न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/22

1. लाड पत्नी स्व0 सजला जी आयु 45 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. रवि पुत्र स्व0 सजला जी आयु 25 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. दीपक पुत्र स्व0 सजला आयु 21 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. माया पुत्री स्व0 सजला जी पत्नी महेन्द्र धाकड आयु 27 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर ।
5. कृष्णा पुत्री स्व0 सजला आयु 22 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र रामनाथ आयु 70 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. शौजी पुत्र रामकुंवार आुय 54 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. रूपचन्द पुत्र रामकुंवार आयु 45 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. महावीर पुत्र जगन्नाथ जी आयु 46 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवा जिला बून्दी।
5. देवबाई पत्नी जगन्नाथ जाति धाकड (मृतक) जिसका वारिस एवं उत्तराधिकारी पूर्व से ही पक्षकार है ।
6. हेमराज पुत्र चौथमल आयु 40 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. नीमलाल पुत्र आयु 36 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
8. भंवर लाल पुत्र ऊंकार आयु 60 वर्ष जाति धाकड निवीस ग्राम बम्बूली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
9. भंवर लाल पुत्र नारायण आयु 60 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
10. सीताराम पुत्र रामनाथ आयु 46 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

11. भूमिधारी तहसीलदार नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
12. राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलक्टर, बून्दी ।
13. शाखा प्रबन्धक बून्दी चित्तौड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा समीधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री दयाकृष्ण विजय, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 22.09.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय 29.10.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 5 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (ए) एवं 188 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम समीधी तहसील नैनवा में कृषि भूमि खाता संख्या नया 277 के खसरा नम्बर 469 रकबा 28 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 472 रकबा 08 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 738 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 03 रकबा 40 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भमि है । खाता संख्या नया 574 के खसरा नम्बर 451 रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 452 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 470 रकबा 15 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 746 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 34 बीघा 03 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी कम 2 व 3 के तन्हा खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है । खाता संख्या नया 382 के खसरा नम्बर 620 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 622 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 1033 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 1034 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 2301/452 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 2302/470 रकबा 14 बीघा कुल किता 06 रकबा 37 बीघा 13 बिस्वा भूमि सिति है । उक्त भूमि वादी कम 4व 5 के तन्हा खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है । ग्राम समीधी की कुल किता 11 की रकबा 89 बीघा 11 बिस्वा के खातेदार चौथमल द्वारा खसरा नम्बर 467 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को दान कर देने से दानग्रहिता प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 2 को एवं ग्राम समीधी की कुल किता 06 की रकबा 65 बीघा 02 बिस्वा के सहखातेदार मृतक जगन्नाथी व कैलाशी के वारिसान को प्रतिवादी संख्या 04 एवं मृतक सहखातेदार सजला के वारिसान जो प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 9 हैं को पक्षकार बनाया है । वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 469 जो वादी कम 01 के खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि है एवं खसरा नम्बर 470 जो कि

वादी कम 2 व 3 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है । उक्त भूमि पर आने–जाने का एकमात्र रास्ता ग्राम समीधी से खसरा नम्बर 451, 452 व 466, 465 व 463, 467 के मध्य की मेर पर होता हुआ खसरा नम्बर 469 व 470 में पहुंचता है । वादीगण के खेत खसरा नम्बर 469 व 470 पर ट्रेक्टर, हल, कुली आदि कृषि यंत्रों को लाने ले जाने के लिये उक्त भूमियों के मेर के मध्य होते हुए 12 फीट चौडे रास्ते वर्षों दराज से निरन्तर निर्बाध रूप से अवागमन करते चले आ रहे हैं । उक्त रास्ता करीब 12 फीट चौडा है । उक्त रास्ते को वादपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट "अ" में हरे एवं लाल रंग से दर्शाया गया है । उक्त रास्ते की तरमीम राजस्व नक्शे में नहीं हो रही है लेकिन मौके पर 12 फीट का रास्ता छोडते हुए दोनों तरफ के खसरा संख्या के खेतों पर मेड पडी हुई है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से प्रदर्शित रास्ते को रास्ता घोषित करवाकर राजस्व नक्शा ट्रेस व अन्य भू–राजस्व अभिलेख में रास्ता दर्ज करवावें ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में इस आशय का आदेश पारित किया जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 04 में वर्णित कृषि भूमि एवं परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से वर्णित प्रदर्शित रास्ते पर वादीगण कम 1 लगायत 3 का सुखाधिकार घोषित किया जावे । गै0मु0 रास्ते में होकर खसरा नम्बर 464, 465 व 467 एवं 463 की दोनो साइडों की मेरों के मध्य उत्तर से दक्षिण में होकर निकल रहे 12 फीट चौडे रास्ते को जो वादीगण कम 1 लगायत 3 के खेत खसरा नम्बर संख्या 469 व 470 में पहुंचता है को रास्ता घोषित कर भू–रीाजस्व अभिलेख नक्शा ट्रेस में दर्ज किया जावे । प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 9 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के रास्ते के सुखाधिकार में कोई रूकावट नहीं डालें । यदि दौराने वाद उक्त रास्ते का किसी भी प्रकार से तारबन्दी करके या अन्य तरीके से बन्द कर दिया जाता है तो रास्ते से अवरोध को हटवाया जाकर रास्ता खुलासा करवाया जावे ।

4. परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को प्रशासन गॉवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट समीधी में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 29.10.2021 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 469 व 470 पर पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 463 रकबा 45 बीघा 06 बिस्वा में से रकबा रकबा 70 गठ्ठा * 2 गठ्ठा = 140 वर्ग गठ्ठा = रकबा 0.07 बीघा तथा खसरा नम्बर 2302/470 में से रकबा 70 गठ्ठा * 2 गठ्ठा = 140 वर्ग गठ्ठा = रकबा 0.07 बीघा भूमि रास्ते के रूप में दिये जाने के आदेश पारित किये ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.10.2021 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण कम 5 लगायत 9 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने दस्तावेजी व मौके की वर्तमान स्थिति से विपरीत जाकर सरसरी तौर पर पत्रावली को कोर्ट कैम्प में ले जाकर एकपक्षीय लाभ पहुंचाने की नियत से राजस्व नियमों को अनदेख करते हुए आदेश पारित किया है । परीक्षण न्यायालय में पत्रावली जवाब में ही लम्बित थी । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है । अपीलान्टगण

को कोर्ट कैम्प की कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि उक्त प्रकरण में सुनवाई हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 03.01.2022 नियत थी । उक्त पेशी पर अपीलान्ट परीक्षण न्यायालय में जरिये अभिभाषक उपस्थित हुए तो कहा गया कि पत्रावलियॉ कैम्प में इधर–उधर हो रही हैं । एक–दो दिन में आगामी पेशी की जानकारी करने के लिए कहा । अभिभाषक द्वारा जानकारी की गई तो उक्त अपीलाधीन निर्णय की बारे में जानकारी प्राप्त हुई । जिस पर दिनांक 21.01.2022 को ही नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया जिसकी दिनांक 27.01.2022 को नकल प्राप्त होने पर उक्त अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में रेस्पेडेन्ट कम 1 लगायत 5 के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) व धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट कम 6 लगायत 13 के विरूद्ध पेश किया किया जिसमें तारीख पेशी वास्ते तलबी दिनांक 03.03.2020 नियत की गई । अपीलान्ट की तलबी होने पर जरिये अभिभाषक वकालतनामा प्रस्तुत किया । पत्रावली जवाब में चल रही थी और तहसील की रिपोर्ट आना था उसके बाद नोटिस बोर्ड से तारीख पेशी नियत की जाती रही । पेशी दिनांक 08.09.2021 को सुनवाई हेतु पुनः नोटिस बोर्ड से आगामी पेशी दिनांक 03.01.2022 दी गई परन्तु नियत पेशी से पूर्व ही पत्रावली का प्रशासन गॉवों के संग अभिभयान के तहत कैम्प कोर्ट समीधी में ले जाकर अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित कर दिया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने प्रशासन गॉवों के संग अभिभान के तहत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अपीलान्टगण को कैम्प कोर्ट की सम्पूर्ण जानकारी थी परीक्षण न्यायालय ने उन्हें नोटिस भिजवाये जो उन्हें तामील हुए हैं । अपीलान्टगण के द्वारा परीक्षण न्यायालय में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया था । रेस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में पैसा जमा करवा दिया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो चुका है । अपीलान्टगण द्वारा जानकारी होने के बावजूद भी काफी विलम्ब से अपील पेश की है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2021 बहाल रखा जावे । इस सम्बन्ध में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के दो परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं दिनांक 29.09.2021 पेश किये ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण

बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 5 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 (क) एवं धारा 188 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने कब्जे काश्त की आराजी पर आने–जाने हेतु रास्ता प्रदान करने तथा उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का कथन किया । परीक्षण न्यायालय ने रास्ते के सम्बन्ध में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त करने पश्चात् परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29.10.2021 के द्वारा प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 469 व 470 पर पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 463 रकबा 45 बीघा 06 बिस्वा में से रकबा रकबा 70 गठ्ठा * 2 गठ्ठा = 140 वर्ग गठ्ठा = रकबा 0.07 बीघा तथा खसरा नम्बर 2302/470 में से रकबा 70 गठ्ठा * 2 गठ्ठा = 140 वर्ग गठ्ठा = रकबा 0.07 बीघा भूमि रास्ते के रूप में दिये जाने के आदेश पारित किये ।

12. परीक्षण न्यायालय की आदेशिका के अनुसार पत्रावली दिनांक 02.09.2020 व 13.01.2021 को वास्ते जवाब अप्रार्थी कम 3, 5 लगायत 9 व प्रत्यर्थी संख्या 11, 12 के जवाब में नियत चल रही थी । उक्त दिनांक को आगामी पेशी दिनांक 12.04.2021 नियत की गई थी । उसके पश्चात् कई तारीख पेशियॉ नियत की गई और दिनांक 08.09.2021 को आगामी तारीख दिनांक 03.01.2022 नियत की गई, परन्तु पत्रावली आगामी पेशी से पूर्व ही दिनांक 29.10.2021 को प्रशासन गॉवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट समीधी में ले जाकर उसी दिन 29.10.2021 को निर्णय पारित कर दिया । प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था उक्त प्रार्थना पत्र के साथ धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत भी अनुतोष चाहा था । तकनीकी रूप से धारा 188 के तहत प्रस्तुत वाद में सीपीसी की पालना किये जाना आवश्यक है । परीक्षण न्यायालय ने नियत तारीख पेशी दिनांक 03.01.2022 से पूर्व ही अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में उनसे जवाब प्राप्त किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया तथा सीपीसी की पालना भी नहीं की गई जो विधि– विरूद्ध है । इन तथ्यों के आधार पर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2021 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर समयबद्ध रूप से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 09.11.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 22.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा